न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 07 / 2019

भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, एफ.बी.ओ. एवं ओनर, मैसर्स एस.डी.एण्ड कॅम्पनी, मोरिजा रोड, चौमू, जयपुर। निवासी–वार्ड नं0 9, मैन बस स्टैण्ड, सामोद, जयपुर।
2. सुनील अग्रवाल, पार्टनर, मैसर्स नीरज मार्केटिंग कॅम्पनी, जे–14, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
3. पंकज अग्रवाल, पार्टनर, मैसर्स नीरज मार्केटिंग कॅम्पनी, जे–14, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
4. मैसर्स नीरज मार्केटिंग कॅम्पनी, जे–14, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
5. ज्योति मित्तल, डॉयरेक्टर, मैसर्स, धनवर्षा ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., एफ–157, 158, 159 रिको इन्ड्रस्टीयल एरिया, फेज–III, केकडी, अजमेर।
6. विनोद कुमार मित्तल, डॉयरेक्टर, मैसर्स, धनवर्षा ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., एफ 157, 158, 159 रिको इन्ड्रस्टीयल एरिया, फेज–III, केकडी, अजमेर। निवासी–S/o ओम प्रकाश मित्तल, बघेरा रोड, मन्डी गेट के सामने, केकडी, अजमेर।
7. मुन्नी रानी जैन, डॉयरेक्टर, मैसर्स, धनवर्षा ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., एफ–157, 158, 159 रिको इन्ड्रस्टीयल एरिया, फेज–III, केकडी, अजमेर।
8. खुशबू मित्तल, डॉयरेक्टर, मैसर्स, धनवर्षा ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., एफ–157, 158, 159 रिको इन्ड्रस्टीयल एरिया, फेज–III, केकडी, अजमेर।
9. मैसर्स, धनवर्षा ऑयल मिल्स प्राईवेट लि., एफ–157, 158, 159 रिको इन्ड्रस्टीयल एरिया, फेज–III, केकडी, अजमेर।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 2006 की धारा 52 एवं 53 3(1)(zf)(A)(i) (a), 3(1)(zf)(B)(ii) और 3(1)(zf)(C)(i) Contravention of Regulation No. 2.2.1(7) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. अभियुक्तगण 6 विनोद कुमार समस्त अभियुक्तगण की ओर से स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.09.2019

यह परिवाद भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 29.08.2018 को एस.डी.एण्ड कॅम्पनी, मोरिजा रोड, चौमू, जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता, ओनर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल

Scanned by CamScanner

की उपस्थिति में संस्थान में निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Groundnut Oil (Train) के 2 गत्ता पैक कार्टून (प्रत्येक में 1 लीटर की 20 पैट बोतल) Groundnut Oil (Train) रखी थी। इनमें अमानक एवं मिथ्या छाप का शक होने पर इसमें से 1 लीटर की 4 पैट बोतल Groundnut Oil (Train) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ईई–1609 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 लीटर की 4 पैट बोतल Groundnut Oil (Train) की कीमत रूपयें 420/– की रसीद प्राप्त की। मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता, एफ. बी.ओ./ओनर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1 लीटर की 4 पैट बोतल Groundnut Oil (Train) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर मिसब्राण्ड एवं मिसलीड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं मिसलीड वाली Groundnut Oil (Train) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 52, 53 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 14.08.2019 को जवाब पेश किया। वास्ते जवाब में लिखा गया है कि एस डी कम्पनी, चौमू के यहां से एक ट्रेन ब्राण्ड मुगफली तेल का नमूना लिया गया जिसका सैम्पल कोड नं0 ईई–1609 का नमूना लिया गया जो कि मिसब्राण्ड बताया गया है। मुंगफली तेल का सैम्पल लेबोरेट्री रिपोर्ट में (State central public health laboratory) में पास पाया गया है। मुंगफली तेल पुर्णतया शुद्ध है व इससे जनमानस (उपभोक्ता) को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य का कोई नुकसान नही है। सैम्पल लेबल के हिसाब से मिसब्राण्ड किया गया है। हम अपनी लेबल की गलती को स्वीकार करते है व भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नही करेगें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु रखी गई Groundnut Oil (Train) में मिसब्राण्ड एवं मिसलीड का शक होने पर चार पैट बोतल 1 लीटर की नमूना जांच हेतु ली जा कर खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भिजवाई गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 07.09.2018 के अनुसार Groundnut Oil (Train) को मिसब्राण्ड एवं मिसलीड होना पाया गया है।

Scanned by CamScanner

अतः खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगणों पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 एवं 53 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) और 3(1)(zf)(C)(i) Contravention of Regulation No. 2.2.1(7) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 Contravention of Section No. 24(2) का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक II/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. प्रार्थी को खाद्य आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन. स्वा.), राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 कि अनुसार राजस्थान राज्य आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर एफ.बी.ओ./ओनर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
4. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर एफ.बी.ओ./ ओनर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
6. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.09.2018 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक होना अंकित है।

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अप्रार्थी सं0 6 ने उपस्थित होकर दौराने बहस कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना लिया गया है वह मुंगफली तेल का सेम्पल लेबोरेट्री रिपोर्ट में पास होना पाया गया है। हमारे द्वारा उत्पादित मुंगफली का तेल पूर्णतया शुद्ध है। इसके उपयोग से किसी भी उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नही होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल एगमार्क नही होने के कारण मिसब्राण्ड किया गया है। जबकि एगमार्क आवश्यक नही है। अभियुक्त सं0 6 के द्वारा चंबल, महाकोष, धारा एवं फार्च्यून खाद्य तेलों के लेबल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए इन प्रचलित ब्राण्डों पर भी एगमार्क का

Scanned by CamScanner

निशान अंकित नही होना बताते हुए उन पर लगाये गये आरोप निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 07.09.2018 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं मिसलीड Groundnut Oil (Train) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) और 3(1)(zf)(C)(i) तथा सपठित एफ.एस.एस. पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के नियम 2.2.1(7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 एवं 53 के अन्तर्गत हम अभियुक्त सं0 5 लगा0 9 पर संयुक्त रूप से उक्त कृत्य के लिये राशि रूपये 50,000 (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.09.2019 को सुनाया गया।

30.9.19

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner